संख्या-14/2021/193/77-3-2021-153(एम)/2018टीसी

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 15 मार्च, 2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के कानपुर नोड के विकास हेतु लो0नि0वि0 के मार्ग साढ़ कुढ़नी मुसाफा के किमी0 1 से 2 में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु धनराशि रू0 926.71 लाख की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14980/यूपीडा/18/1872 दिनांक 15.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054.सड़कां तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य'' मद में प्राविधानित अवशेष धनराशि रू. 138.2424 करोड़ में से डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के कानपुर नोड के विकास हेतु लो0नि0वि0 के मार्ग साढ़ कुढ़नी मुसाफा के किमी0 1 से 2 में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य के भुगतान प्रस्तावित परियोजना लागत रू0 926.71 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 926.71 लाख (रू0 नौ करोड़ छब्बीस लाख इक्हत्तर हजार मात्र) निर्गत कर यूपीड़ा के निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) यूपीडा द्वारा धनराशि आहरित करके प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कानपुर नगर को उपलब्ध कराया जायेगा।
(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
(3) यूपीडा द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कानपुर नगर से प्राप्त कर यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।
(4) प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्यो का क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
(5) प्रशासकीय विभाग धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगें।
(6) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दि. 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दि. 11.04.2020, 18.05.2020 एवं 29.09.2020 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054.सड़कां तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6-199/दस-21 दिनांक 13.03.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-14/2021/193(1)/77-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ, कानपुर नगर।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।